

1 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 331/2016

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 331/2016

संस्थापित दिनांक 22/06/2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. रूप सिंह पुत्र हरविलास गुर्जर उम्र 50 वर्ष निवासी हवीपुरा गोहद जिला भिण्ड म.प्र.
2. रामप्रसाद पुत्र रूपसिंह गुर्जर उम्र 26 वर्ष निवासी हवीपुरा गोहद जिला भिण्ड म.प्र.
3. अजीत सिंह पुत्र रूपसिंह गुर्जर उम्र 22 वर्ष निवासी हवीपुरा गोहद जिला भिण्ड म.प्र.
4. विक्रम सिंह पुत्र रूप सिंह उम्र 18 वर्ष निवासी हवीपुरा गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

..... अभियुक्तगण

.....
(अपराध अंतर्गत धारा— 324/34 भा.दं.सं.)
(राज्य द्वारा एडीपीओ— श्री प्रवीण सिकरवार)
(आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री सुरेश गुर्जर ।)

.....
::- निर्णय :-

(आज दिनांक 23/12/16 को घोषित किया)

आरोपीगण पर दिनांक 25.03.16 को 14:30 बजे फरियादी मुकुट सिंह के गुर्जर के घर के बाहर हवीपुरा गोहद में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी मुकुट सिंह गुर्जर को मां-बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित

करने, मुकुट सिंह को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभिवास कारित करने एवं उसी समय सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी मुकुट सिंह की मारपीट कर उसे दांतों से काटकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने एवं आहत राजेन्द्र की लात-घूसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने हेतु आरोपी रामप्रसाद पर भा.दं.सं. की धारा 294, 506 भाग 2, 324, 323 एवं आरोपी रूपसिंह पर भा.दं.सं. की धारा 294, 506 भाग 2 [324/34](#), 323 तथा आरोपी अजीत सिंह एवं विक्रम सिंह पर भा.दं.सं. की धारा 294, 506 भाग 2, [324/34](#), एवं [323/34](#) के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 25.03.16 को करीबन दो-तीन बजे होली खेलने के उपर आरोपी रूपसिंह और रामप्रसाद फरियादी मुकुटसिंह को मां-बहन की गालियां देने लगे थे, जब उसने आरोपीगण को गाली देने से मना किया था तो अजीत और विक्रम ने लाठी डण्डों से उसकी मारपीट की थी जिससे उसके पीठ और शरीर पर चोटें आयी थीं उसे बचाने उसका चाचा राजेन्द्र आया था तो रूपसिंह और रामप्रसाद ने उसके चाचा की भी लात-घूसों से मारपीट की थी। रामप्रसाद ने उसके दांतों से काट लिया था। मौके पर उसे व चाचा को सिकंदर सिंह ने बचाया था। आरोपीगण ने जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अपराध क्र. [86/16](#) पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. ये उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी मुकुटसिंह एवं आहत राजेन्द्र द्वारा आरोपीगण से स्वेच्छया पूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी रामप्रसाद एवं रूपसिंह को भा.दं.सं. की धारा 294, 323 एवं 506 भाग 2 तथा आरोपी अजीत सिंह एवं विक्रमसिंह को भा.दं.सं. की धारा 294, [323/34](#) एवं 506 भाग 2 के आरोपी से पूर्व में ही दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपी रामप्रसाद पर भा.दं.सं.

की धारा 324 तथा आरोपी रूपसिंह, अजीत सिंह एवं विक्रमसिंह पर भा.दं.सं. की धारा 324/34 पर विचारण शेष है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 25/03/16 को 14:30 बजे फरियादी मुकुट सिंह गुर्जर के घर के बाहर हवीपुरा गोहद में सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी मुकुटसिंह की मारपीट कर उसे दांतों से काटकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी मुकुट सिंह अ.सा. 1 एवं राजेन्द्र सिंह अ.सा. 2 को परीक्षित कराया गया है, जबकि आरोपी की आरे से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी मुकुट सिंह अ.सा. 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग आठ-नौ महीने पहले होली के दिन की दिन के दो-तीन बजे की है। होली खेलने के उपर उसका आरोपीगण से मुंहवाद हो गया था। आरोपीगण ने गालीगलोज कर दिया था। अन्य कोई बात नहीं हुयी थी उसने इसी बात की रिपोर्ट थाना गोहद में की थी जो प्रदर्श पी 1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि झगड़े के दौरान आरोपीगण ने लाठी डण्डे से उसकी मारपीट की थी एवं जब उसके चाचा राजेन्द्र बचाने आये थे तो रूपसिंह और रामप्रसाद ने उनकी भी लात-घूसों से मारपीट की थी। उक्त साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि रामप्रसाद ने उसके दाहिने हाथ की उंगली में दांतों से काट लिया था। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने आरोपीगण द्वारा मारपीट कर वाली बात अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 एवं पुलिस कथन प्रदर्श पी 3 में पुलिस को लिखाई थी।

8. आहत राजेन्द्र सिंह अ.सा. 2 ने भी अपने कथन में होली खेलने के उपर मुकुटसिंह का आरोपीगण से मुंहवाद होना एवं आरोपीगण द्वारा गालीगलोज करना बताया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि झगड़े के दौरान आरोपीगण ने उसकी एवं मुकुट सिंह की लाठी डण्डे से मारपीट की थी एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि रामप्रसाद ने मुकुटसिंह के दांतों से काट लिया था।

9. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना प्रमाणित नहीं है।

10. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी मुकुटसिंह अ.सा. 1 ने अपने कथन में आरोपीगण से मुंहवाद होना एवं आरोपीगण द्वारा गालीगलोज करना बताया है एवं यह भी व्यक्त किया है कि गालीगलोज के अतिरिक्त अन्य कोई बात नहीं हुयी थी। आहत राजेन्द्रसिंह अ.सा. 2 ने भी आरोपीगण द्वारा गालीगलोज करना बताया है। उक्त दोनों ही साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त दोनों ही साक्षियों ने इस तथ्य से इंकार किया है कि झगड़े के दौरान आरोपीगण ने उनकी मारपीट की थी। स्वयं फरियादी मुकुटसिंह अ.सा. 1 के द्वारा इस तथ्य से इंकार किया गया है कि आरोपीगण ने झगड़े के दौरान उसकी मारपीट की थी एवं इस तथ्य से भी इंकार किया गया है कि आरोपी रामप्रसाद ने उसके दाहिने हाथ की उंगली में दांतों से काट लिया था।

11. इस प्रकार फरियादी मुकुटसिंह अ.सा. 1 एवं आहत राजेन्द्र सिंह अ.सा. 2 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपीगण द्वारा मारपीटकरने से इंकार किया गया है। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि झगड़े के दौरान आरोपीगण ने सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी मुकुटसिंह की मारपीट कर उसे दांतों से काटकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की थी। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

12. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपीगण के विरुद्ध अपना मामला

प्रमाणित करें। यदि अभियोजन आरोपीगण के विरुद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपीगण की दोषमुक्ति उचित है।

13. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 25/03/16 को 14:30 बजे फरियादी मुकुटसिंह गुर्जर के घर के बाहर हवीपुरा गोहद में सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी मुकुटसिंह की मारपीटकर उसे दांतों से काटकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी रामप्रसाद को भा.दं.सं. की धारा 324 एवं आरोपी रूपसिंह, अजीत एवं विक्रमसिंह को भा.दं.सं. की धारा 324/34 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

14. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

15. प्रकरण में जब्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं है।

स्थान – गोहद

दिनांक – 23 /12 /2016

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित
कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

मेरे निर्देशन में टंकित
किया गया।

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)